

01.11.22

भाना से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

12.12.22

12.12.22

भाना से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

24.1


24.01.23


भाना से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अभिलेख उपस्थापित।

उपरोक्त पक्ष-भाषासूत्र में लगाता अनुपस्थित रहने से प्रतीत होता है कि स्थल में विधि-सम्बन्धित एवं आदि-सम्बन्धित गैर होने की संभावना नगण्य प्रतीत होता है।

अतः वरिष्ठ की कार्यवाही से लगातार अ-अभिलेख से बन्द किया जाता है।
लेखापित।


अनु. ६०३०
गिरादीत।


अनु. ६०३०
गिरादीत।